पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ में विधिक माप विज्ञान सुधारों पर केंद्र और यूपी सरकार का संयुक्त सम्मेलन

जन विश्वास अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन, कारोबार सुगमता और डिजिटल शासन पर जोर, 250 प्रतिभागी रहे शामिल

लखनऊ : 03 सितंबर, 2026

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग के सहयोग से आज लखनऊ में 'विधिक माप विज्ञान सुधार और जन विश्वास अधिनियम 2026 का प्रभावी कार्यान्वयन' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रधान सचिवों, नियंत्रकों, विधिक माप विज्ञान अधिकारियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों सहित लगभग 250 लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने किया।

अपने संबोधन में सचिव निधि खरे ने कहा कि विधिक माप विज्ञान दैनिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में है, जो लेन–देन में सटीकता और विश्वास सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि विभाग का दृष्टिकोण 'सुधार, प्रदर्शन, रूपांतरण और सूचना' की भावना से निर्देशित है। जन विश्वास सुधारों का उद्देश्य अनावश्यक अनुमतियों और दोहराव वाली आवश्यकताओं को हटाकर प्रवर्तन को वास्तविक उपभोक्ता जोखिम वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करना है।

उन्होंने बताया कि भारत का विश्व का 13वां ऐसा देश बनना, जिसे व्डस- पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, बड़ी उपलब्धि है। इससे घरेलू निर्माता बिना बार–बार परीक्षण के तौल और माप उपकरणों का निर्यात कर सकेंगे, जिससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने राज्यों से अनुमति–आधारित विनियमन से सुविधा–आधारित, जोखिम–आधारित और प्रौद्योगिकी–संचालित प्रशासन की ओर बढ़ने का आह्वान किया। सम्मेलन में ई–माप डिजिटल प्लेटफॉर्म, राज्य प्रवर्तन नियमों में सामंजस्य और जोखिम–आधारित निरीक्षण पर जोर दिया गया।

अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने प्रस्तुति देते हुए बताया कि जन विश्वास अधिनियम–2026 के तहत अपराधों का गैर–अपराधीकरण, सुधार नोटिस की शुरुआत और लाइसेंस व्यवस्था से पंजीकरण व्यवस्था की ओर संक्रमण किया गया है। सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (GATC) की श्रेणियां 10 से बढ़ाकर 23 की गई हैं, अब तक 51 GATC को मंजूरी और 92,000 सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। पेट्रोल–डीजल डिस्पेंसर के पुनःसत्यापन की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करना, निर्यात के लिए गैर–मानक बाट बनाने हेतु पूर्व अनुमति समाप्त

करना और 27 अगस्त 2026 को अधिसूचित भारतीय मानक समय (IST) नियम जैसे सुधार भी किए गए हैं।

सम्मेलन में मध्य प्रदेश की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, नियंत्रक ब्रजेश सक्सेना, उत्तराखंड की अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, संयुक्त सचिव इमकोंगला जमीर, निदेशक आशुतोष अग्रवाल सहित FICCI, RAI, CAIT, ASSOCHAM के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

सम्पर्क सूत्र– अमरेश कुमार

राम यतन/06:40 PM